रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225743
CG-DL-E-09032021-225743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942
No. 1007] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.आ. 1095(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इस में इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, भारत सरकार की कंपनी, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड को, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं.2, सैक्टर 29, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत, 122001 पर स्थित है, उक्त अधिनियम के प्रावधानों या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय आयोग या प्राधिकरण के किन्हीं विनियमों या निदेशों या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कुछ अन्य निदेशों या कार्यों को करने तथा उन्हें निष्पादित करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के अभिप्राय के तहत में, “सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी” के रूप में अधिसूचित करती है।

और भी, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को, जिसे राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 27 नवंबर, 2003 द्वारा “सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी” घोषित किया गया था, अधिनियम के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्ति-धारी समझा जाता रहेगा और वह प्रासंगिक एवं उससे सम्बंधित कार्य करता रहेगा तथा केन्द्रीय सरकार या इससे सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित कार्य भी करता रहेगा। यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 18/3/2015-पीजी (भाग3)]

मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव (पारेषण)

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2021

S.O. 1095(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 38 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (hereinafter referred to as 'the said Act'), the Central Government hereby notifies the Central Transmission Utility of India Limited, a Government Company, having its registered office at plot No. 2, sector 29, Gurgaon, Haryana, India, 122001, as the 'Central Transmission Utility', within the meaning of sub-section(10) of section 2 of the said Act, to undertake and discharge all functions of Central Transmission Utility pursuant to the provisions of the said Act or any regulations or directions of the Central Commission or Authority or any other directions or functions prescribed by the Central Government in that regard.

Further, in exercise of the power conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 38 of the said Act, Power Grid Corporation of India Limited, which was declared as 'Central Transmission Utility', vide Gazette Notification Dated the 27th November, 2003, shall continue to be a deemed Transmission Licensee under the Act and discharge functions incidental and connected therewith and would also undertake functions as directed by the Central Government or Authority in that regard. This notification shall be effective from 1st April, 2021.

[F. No. 18/3/2015-PG(Part 3)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Jt. Secy. (Transmission)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.09 22:49:58 +05'30'